न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-96/2014

भागू पुत्र धीसा जाति जाट निवासी चारणा का बास उर्फ गंगा बिशान का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-धीसा दत्तक पुत्र जगू जाति जाट निवासी चारणा का बास उर्फ गंगाबिशान का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

2- हरफूल (फौत)

2/1- मोहनी देवी पत्नी पी हरफूल

2/2- विजयपाल पुत्र हरफूल

2/3- सरोज पुत्री हरफूल

2/4- भंवरी पुत्री हरफूल

2/5- महेन्द्र पुत्र हरफूल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कोटडी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

3- बंशी

4- झाबर

5- लाडेश्वर

6- होलदार

पुत्रगण धीसाराम जाति जाट निवासी चारणा का बास उर्फ गंगाबिशान का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

7- पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावडी जरिये बैंक मैनेजर ।

8- पटवारी हल्का बावडी जिला सीकर(राज0)

9- उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

10-तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
31-12-2013 द्वारा सहायक
कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) खण्डेला ।

--0--

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बजरंगसिंह राजपूत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 77, 79 से 101 कुल किता-24 रकबा 10.74 हैक्टर ग्राम चारण का बास उर्फ गंगाबिशनका बास में अवस्थित है । जिसमें 1/6 हिस्से की खातेदा--री अप्रार्थी सं0-1 के नाम दर्ज है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0-1 से 6 की शामला--ती पैतृक भूमियां हैं । जिनको पहले प्रार्थी का दादा नारायण काश्त करता था ।नारायण के फौत होने पर प्रार्थी के पिता घीसा काश्त करने लग गया । उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान में प्रार्थी के पिता घीसा के नाम दर्ज है । उक्त आराजी पैतृक होने से उक्त आराजी में प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा है जिसको प्रार्थी अपने नाम घोषणा करवाने तथा तकासमा करवाकर खातेदारी अलग कराने का अधिकारी है ।अप्रार्थी सं0-1 घीसा वृद्ध व्यक्ति है जो अप्रार्थी सं0-2 से 6 के बहकावे में है जो इन आराजीयात को बैचान करने पर आमादा है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा है । इस आराजी को अप्रार्थी सं0 -1 अप्रार्थी सं0-2 से 6 के साथ मिलकर बैचान कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह इस आराजी का बैचान नहीं करें, रहन नहीं रखे, ऋण नहीं लेवे, प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें । तथा अप्रार्थी सं0-7 से 10 को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजी को कोई दस्तावेज को तस्दीक नहीं करें । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की की है ।

योग्यक अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के निर्णय को वाद पत्र के निर्णय के अनुसार निर्णित किया है । साक्ष्य के बाद में निर्णित होने वाले बिन्दू को अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य के ही निर्णित कर दिया ।विवादित आराजी पैतृक होने से अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दू होने के बाद भी उक्त तीनों बिन्दूओं का नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है । प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में दि0 9-01-2012 को पेश किया उस समय अदालत मातहत ने प्रथम दृष्टया मामला मानते हुये रेस्पोडेन्ट को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था । किन्तु अदालत मातहत ने अपने अन्तिम निर्णय में इस बिन्दू को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया इसकी सूचना अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को नहीं दी। अपीलान्ट को इस निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दि0 15-6-2014 को हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 6 ने यह धमकी दी की अब हमें इस आराजी को बैचान करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) खण्डेला से दिनांक 31-12-2013 को प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका ।इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 16-6-2014 को अपने अधिवक्ता से मिलकर जानकारी चाही तब उन्होने बताया कि स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 31-12-2013 को खारिज हो गया । तब अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता को उलाहना दिया कि निर्णय की सूचना मुझे क्यों नहीं दी तथा उसी समय नकल का आवेदन पेश किया जिस पर नकल 18-6-14 को प्राप्त हुई। जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अदालत मातहत के निर्णय के बाद इस आराजी के वेस्ट, डेमेज एवं एलाइनेट होने की प्रबल सम्भावना बन गई । जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि में अपीलान्ट 1/7 हिस्से का काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी के उद्घोषणा का दावा विचाराधीन है। दावा के निर्णय तक विवादित आराजी का बैचान/रहन नहीं करने के लिये

रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी का बैचान/अन्तरण नहीं करें, अपीलान्ट के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत नहीं करें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक है।जो पूर्व में अपीलान्ट के दादा नारायण की काश्त में थी । नारायण के देहान्त के बाद इस आराजी को अपीलान्ट का पिता घीसा काश्त करने लगा । इस प्रकार इस आराजी में अपीलान्ट का जन्म के साथ ही हिस्सा निश्चित हो गया ।किन्तु यह आराजी अपीलान्ट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या-1 घीसा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 6 के बहकावे में है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 6 इस आराजी को मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से बैचान कराने पर आमादा है । यदि रेस्पोडेन्ट अपने इस कुउदेश्य में सफल हो जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णिय क्षति होगी तथा उसका दावा पेश करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुये स्थगन(अन्तरिम) आदेश जारी कर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था । किन्तु अन्तिम निर्णय में मेरा मामला प्रथम दृष्टया कैसे नहीं माना स्पष्ट नहीं किया ।जबकि विवादित भूमि पैतृक होने से अपीलान्ट का इस आराजी में जन्म से ही हिस्सा निर्धारित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति अपीलान्ट का है । विवादित आराजी पैतृक होने से दौराने दावा यथास्थिति के आदेश दिये जाने चाहिये जैसा आरएलडब्लू 17-5-2014(2) पेज-1561, डीएनजे 2013 (1)राज0 पेज-170, आरआरटी 2013(1) पेज 49 में पैतृक भूमि में प्रार्थी/

पारित किये हैं ।किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह दावे के निर्णय तक विवादित आराजी का बैचान/हस्तान्तरण नहीं करें ।अपीलान्ट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक भूमि नहीं है । यह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है ।जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या-। के नाम विवादित आराजी खातेदारी में दर्ज हुई है ।मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या-। का कब्जा है । अपीलान्ट ने यह दावा केवल रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है । अपीलान्ट न तो विवादित आराजी का खातेदार है न ही इसका कब्जा है ।अपीलान्ट का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है ना ही सुविधा का सन्तुलन है तथा कब्जा काश्त नहीं होने से अपीलान्ट को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होती है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि संगत पारित किया है । बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आरएलडब्लू 2013(1)राज0 पेज-409 पेश कर अपील को खारिज कर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2065 से 2068 में विवादित आराजी में अन्य सहखातेदारों के साथ घीसा पुत्र जगु हि0 1/6 दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2028 से 2031 में विवादित आराजी जगु, नारायण पि0 हुक्मा हि0 बराबर 1/3, दर्ज है ।इस जमाबन्दी पर नोट दर्ज है जिसमें नामा0सं0-13 के द्वारा सम्पूर्ण खाता जगु नारायण पि0 हुकमा के स्थान पर घीसाराम दत्तक पुत्र जगु 1/6 व भागु पुत्र घीसा के नाम हुआ । विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त 1/6 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं0-। को विरासत के आधार प्राप्त न होकर विक्रय पत्र के आधार पर प्राप्त हुआ है । और खातेदारी पंजीकृत विक्रय विलेख पर आधारित है तथा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार कब्जाधारी हो तो

उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिये । इस मत से हम सहमत है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य प्रकरण से भिन्न है । जो प्रकरण पर चस्पा नहीं है । साथ ही अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट सं0-1 का 1/6 हिस्सा आराजी पैतृक हो । रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 रेकार्डेड खातेदार काश्त--कार काबिज होने से उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी उचित नहीं मानते हैं । तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार कर मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) खण्डेला का निर्णय दिनांक 31-12-2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.7.2018 को सुनाया गया ।

23/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर